कार्यालय
वन मण्डल विदिशा
ई–मेल. dfotvidisha@mp.gov.in, दूरभाष– 07592-232967, फैक्स– 236976

क्रमांक / मा0चि0 / 1592 विदिशा, दिनांक 28 / 08 / 2023

प्रति,

प्रोजेक्ट डायरेक्टर ,
परियोजना क्रियान्वयन ईकाई ,सागर ,
भू–खण्ड क्र.1,सनराईज मेंगा सिटी ,
राजघाट रोड,बाघराज वार्ड,
सागर (म.प्र.)–470001

विषयः– विदिशा जिले में NH-346(Old SH-19)के अंतर्गत Vidisha-Mahulwa-Talbehat Section में फोरलेन निर्माण हेतु 2.33 हेक्टेयर वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सागर को उपयोग पर देने बावत्। ऑनलाईन प्रकरण क्र / FP/MP/ROAD/149399/2021)

संदर्भः– 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्र0 / 6–एमपीआर 045 / 2022–बीएचओ / दिनांक 21 / 08 / 2023।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल का पत्र क्र./एफ–5 / 1189 / 2022 / 10–11 / 3784 दिनांक 22 / 08 / 2023।

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक / 6–एमपीबी 045 / 2022–बीएचओ / दिनांक 21 / 08 / 2023 से वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–2 के तहत प्रथम चरण की सैद्वांतिक स्वीकृति(ए–1 से 11 तथा बी–1 से 16 तथा पेरा से) प्राप्त हुयी है जिसके अनुसार :–

अधिरोपित शर्त क्रमांक ए–1 के तहत 11 वर्षीय क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु विदिशा वनमंडल के प्रभावित वन भूमि के बदले दुगने बिगड़े वनो में सुधार अंतर्गत वन परिक्षेत्र बासौदा के कक्ष क्रमांक आर.एफ.–188 में वृक्षारोपण हेतु रूपये 56,05,775 / –(छप्पन लाख पांच हजार सात सौ पिछत्तर रूपये मात्र) की राशि का भुगतान ऑनलाईन भारत सरकार,पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ई पोर्टल फारेस्ट क्लियरेन्स की वेवसाईट (https;//parivesh . nic.in/) पर केम्पा मद में ही किया जाना है।

शर्त क्रमांक ए–2 के अनुसार नेट प्रेजेन्ट वेल्यू की राशि म.प्र.शासन वन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 12 सितम्बर 2008 तथा भारत सरकार,पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय(वन संरक्षण प्रभाग)नई दिल्ली के पत्र दिनांक 06 / 01 / 2022 के अनुसार रूपये 30,12,340 / –(तीस लाख बारह हजार तीन सौ चालीस रूपये मात्र) की राशि का भुगतान ऑनलाईन भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ई पोर्टल फारेस्ट क्लियरेन्स की वेवसाईट (https;//parivesh.nic.in/) पर केम्पा मद में ही किया जाना है।

शर्त क्रमांक ए–4 के अनुसार वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अधिकारों के विनिश्चय की कार्यवाही पूर्ण होने संबंधी निर्धारित प्रारूप पत्र (FRA)कलेक्टर विदिशा द्वारा जारी प्रमाण पत्र देवे।

समस्त अधिरोपित शर्तो का शर्तवार पालन प्रतिवेदन टेबूलर फार्म में 4 प्रतियो में सील हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करे। साथ ही पालन प्रतिवेदन ई पोर्टल (https;//parivesh.nic.in/) पर अपलोड करे। वैकल्पिक बृक्षारोपण योजना की राशि एवं नेट प्रेजेन्ट वेल्यू की राशि ऑनलाईन कैम्पा मद मे जमा की राशि की छायाप्रति सील हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अवश्य देवे।

वन मंडलाधिकारी,
सामान्य वन मण्डल,विदिशा

पृ0 क्रमांक / मा0चि0 / विदिशा, दिनांक / 08 / 2023

प्रतिलिपि :–1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू0प्र0) म0प्र0 भोपाल की ओर आपके पत्र क्र /एफ–5 / 1189 / 2022 / 10–11 / 3784 दिनांक 22 / 08 / 2023 के संदर्भ में सूचनार्थ संप्रेषित।
2 मुख्य वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3 कलेक्टर जिला–विदिशा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4 वन मंडल अधिकारी, सामान्य वन मंडल रायसेन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

–सही–

वन मंडलाधिकारी,
सामान्य वन मण्डल,विदिशा